वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, आज, न्यायाधीश, जागरूक एक्सप्रेस,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 05.07.2025

किराया नहीं देने वाले दुकान करें सील : सचिव

वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा ने शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किराया नहीं देने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने के साथ उसे सील करने की कार्रवाई सख्ती से किया जाए। जिन आवंटियों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है उनकी सूची बनाने के साथ नोटिस जारी करें। शेष राशि तय अवधि में जमा कराई जाए। (जासं)

आज–दि0 05.07.2025

किराया न जमा करने वाले दूकानदारों का आवंटन होगा निरस्त

विकास प्राधिकरण के सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने शुक्रवार को संपत्ति विभाग के संबंध में बैठक ली। जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि जो व्यक्ति लंबे समय से भवनों या दूकानों का किराया नही जमा कर रहे है उनसे तत्काल खाली कराते हुए विभाग अधिग्रहण करे और उसकी नीलमी हो। इसके अलावा जिन आवंटियों ने संपत्ति की संपूर्ण धनराशि जमा कर दी है उनके भवनों या दूकानों की रजिस्ट्री की जाय। इसके अलावा जिन लोगोंने शेष धनराशि अभी तक नही दी है उन्हें नोटिस भेजी जाय। जिन लोगों ने अभी किश्तों का भुगतान नही किया उन्हें तत्काल नोटिस भेजकर वसूली की जाय। नोटिस के बाद भी किश्त जमा न होने पर आवंटन निरस्तीकरण पर विचार किया जाय। सचिव ने कहा कि वसूली के कार्य में लापरवाही होने पर संबंधित निरीक्षक या अधिकारी के विरुद्ध काररवाई की जायेगी।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 05.07.2025

अनुभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

जिला संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं संपत्ति संबंधी विषयों पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिन आवंटियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराई जाए तथा जिन आवंटियों द्वारा अभी तक धनराशि जमा नहीं की गई है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। जिन आवंटियों की किस्त/धनराशि जमा करने की तिथि निकट है, उन्हें पूर्व सूचना देते हुए नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समयबद्ध रूप से भुगतान कर सकें। जो किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं अथवा जो सिकमी किरायेदार हैं, ऐसे मामलों में संबंधित दुकानों को खाली कराकर प्राधिकरण द्वारा उनका पुनः अधिग्रहण किया जाए एवं नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी करते हुए भुगतान के लिए सूचित किया जाए। अन्यथा स्थिति में उनके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त बैठक में संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी एवं पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 05.07.2025

सचिव वाविप्रा की अध्यक्षता में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्राङ की अध्यक्षता में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सचिव महोदय द्वारा विभिनन योजनाओं एवं संपत्ति संबंधी विषयों पर निमनलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गएः। जिन आवंटियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराई जाए तथा जिन आवंटियों द्वारा अभी तक धनराशि जमा नहीं की गई है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। जिन आवंटियों की किस्त/धनराशि जमा करने की तिथि निकट है, उन्हें पूर्व सूचना देते हुए नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समयबद्ध रूप से भुगतान कर सकें। जो किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं अथवा जो सिकमी किरायेदार हैं, ऐसे मामलों में संबंधित दुकानों को खाली कराकर प्राधिकरण द्वारा उनका पुनः अधिग्रहण किया जाए एवं नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी करते हुए भुगतान के लिए सूचित किया जाए। अन्यथा स्थिति में उनके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा।उक्त बैठक में संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी एवं पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।